

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग

प्रेषक,

सुधीर कुमार,  
वन संरक्षक—सह—अपर सचिव।

सेवा में,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय),  
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,  
एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, द्वितीय तल,  
झारखण्ड राज्य आवास बोर्ड मुख्यालय,  
हरमू चौक राँची, झारखण्ड,  
राँची—834002

पटना—15, दिनांक.....

**विषय :—** भारतमाला परियोजना के तहत मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव—कलुआही (0.00—21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट—रहिका (0.00—26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान—भेजा (0.00—25.915 कि०मी० NH-227A) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 39.1096 हेतु वन भूमि अपयोजन प्रस्ताव पर सैद्धांतिक स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संदर्भ में सूचित करना है कि मधुबनी जिलान्तर्गत उमागाँव—कलुआही (0.00—21.610 कि०मी० NH-227L) पथ, साहरघाट—रहिका (0.00—26.135 कि०मी० NH-227J) पथ एवं विदेश्वर स्थान—भेजा (0.00—25.915 कि०मी० NH-227A) पथ के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत 39.1096 हेतु भूमि अपयोजन का प्रस्ताव परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल द्वारा समर्पित किया गया है, जिसे प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना के अनुमोदनोंपरांत नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण) द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

विषयांकित परियोजना में 39.1096 हेतु वन भूमि का अपयोजन तथा परियोजना निर्माण के क्रम में प्रभावित होने वाले 4042 वृक्षों में से 2452 वृक्षों का पातन एवं 1590 वृक्षों का पुनर्स्थापन प्रस्तावित है। क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा सीधे आपको उपलब्ध कराई जायेगी।

अपयोजित होने वाली वनभूमि के लिए जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा FRA, 2006 प्रमाण—पत्र निर्गत नहीं किया गया है परन्तु भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्रांक—11—43 / 2013—FC दिनांक—26.02.2019 के आलोक में बिना FRA, 2006 प्रमाण—पत्र के ही बिना प्रस्ताव पर स्टेज—1 की स्वीकृति प्राप्त करने हेतु अग्रसारित किया जा रहा है।

परियोजना निर्माण के क्रम में कुल 39.1096 हेतु अपयोजित होने वाली वन भूमि के बदले क्षतिपूरक वनीकरण हेतु दुगुने 78.2192 हेतु अवकृष्ट वन भूमि को जमुई वन प्रमंडल के झाझा वन प्रक्षेत्र के बैजला PF को चिह्नित करते हुए 2,21,92,468/- (दो करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ अड़सठ रुपये) मात्र प्राक्कलन वन प्रमंडल पदाधिकारी, जमुई से प्राप्त की गयी है। क्षतिपूरक वनीकरण के लिए चिह्नित वन भूमि का Geo-referenced नक्शा एवं वन भूमि क्षतिपूरक वनीकरण के लिए उपर्युक्त है का प्रमाण पत्र भी प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

विषयांकित प्रस्ताव में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का अनुशंसा प्रपत्र-II के रूप में एवं वन प्रमंडल पदाधिकारी का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन संलग्न है। वन संरक्षक द्वारा प्रस्ताव की अनुशंसा की गयी है, जिसका अनुमोदन प्रपत्र-III के रूप में एवं नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार द्वारा की गयी अनुशंसा प्रपत्र IV के रूप में संलग्न है।

वन (संरक्षण), अधिनियम, 1980 के तहत निर्मांकित शर्तों के साथ प्रस्ताव की अनुशंसा की जाती है :—

1. भूमि का वैधानिक स्वरूप यथावत रहेगा।

2. 39.1096 हे० वन भूमि के लिये नेट प्रजेन्ट भेल्प्यु (NPV) के मद में रु० 9.57780 लाख प्रति हे० के, दर से रु० 3,74,58,393/- (रूपये तीन करोड़ चौहत्तर लाख अंठावन हजार तीन सौ तिरानवे) मात्र को प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, बिहार के पक्ष में जमा कराया जायेगा।
3. अपयोजित होने वाली 39.1096 हे० वन भूमि के बदले में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए जमुई वन प्रमंडल अन्तर्गत 78.2192 हे० अवकृष्ट वन भूमि सुरक्षित वन में चिन्हित करते हुए रु० 2,21,92,468/- (दो करोड़ इक्कीस लाख बानवे हजार चार सौ अड़सठ रूपये) मात्र का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। क्षतिपूरक वृक्षारोपण की राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा तात्कालिक मजदूरी दर पर उपलब्ध करायी जायेगी।
4. वृक्षों का पातन विभागीय देखरेख में प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा अपने खर्च पर किया जाएगा एवं पातित काष्ठ को विभागीय बनागार तक पहुँचाया जाएगा। प्राप्त काष्ठ की नीलामी इत्यादि के लिए विभाग को 1492/- रूपये प्रति घनमीटर की दर से राशि प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराएगी।

प्रस्ताव को संलग्न अभिलेख सहित भेजते हुए अनुरोध है कि उपर्युक्त प्रस्ताव के संदर्भ में लिये गये निर्णय से राज्य सरकार को संसूचित करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

**ज्ञापांक** :— वन भूमि—88/2022...../प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक.....

**प्रतिलिपि** :—प्रधान मुख्य वन संरक्षक, बिहार, पटना/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार/परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कैम्पा)—सह—नोडल पदाधिकारी (वन संरक्षण), बिहार से अनुरोध है कि क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, मुजफ्फरपुर द्वारा अनुमोदित वृक्ष सुरक्षा योजना सीधे भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, रॉची को उपलब्ध करा दिया जाय।

ह०/-

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

**ज्ञापांक** :— वन भूमि—88/2022 २५/५/२३ प०व०ज०प०, पटना—15, दिनांक ०५।०१।२३

**प्रतिलिपि** :—आई०टी० मैनेजर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग को निदेश दिया जाता है कि प्रस्ताव को मंत्रालय के वेब—साईट पर अपलोड करते हुए पार्ट—2 उपलब्ध कराया जाय।

२५।०१।२३

(सुधीर कुमार)

वन संरक्षक—सह—अपर सचिव

२३

PART-V

(To be filled in by the Secretary Charge of forest Department or by any other authorizes officer of the State Government not below the rank of an Under Secretary)

Adverse comments made by any officer or authority in Part-B or Part-C or Part-D above should be specifically commented upon.

The proposed diversion of 39.1096 ha. forest land for widening & strengthening Project of from Umagaon to Kaluahi under Madhubani District may be sanctioned subject to the condition/stipulation mentioned in the forwarding letter.

Date:-.....5/1/2023.....

Place:-.....PATNA.....

Signature:- Sudhakar Kumar

Name of Designation:-

Official Seal:- अपर सचिव  
पर्यावरण, बृक्ष एवं जलवायु परिवर्तन विभाग  
बिहार, पटना